**:: न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा, जिला, झालावाड़ (राज.) ::**

पीठासीन न्यायाधीश : **मुकेश कुमार सोनी,** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

**दाण्डिक विविध प्रकरण (जमानत) संख्या 77/2026**

CIS No. 77/2026

**हरिसिंह** पुत्र घासीलाल, उम्र 35 साल, निवासी कचनारिया खुर्द, थाना हरनावदा शाहजी, जिला बारां (राज.)

.......प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य .......अप्रार्थी/अभियोगी

**जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**

**प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 29/2026, पुलिस थाना जावर**

**अपराध अन्तर्गत धारा 8/20ए एन.डी.पी.एस. एक्ट**

उपस्थित:-

01. श्री भागचन्द मीणा, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

02. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

**:: आदेश ::** दिनांक:-09.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. में सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ है, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई जाकर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अपर लोक अभियोजक ने अनुसंधान पत्रावली प्रस्तुत की। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 19.02.2026 को कृष्ण गोपाल (प्रो.) आरपीएस एस.एच.ओ. जावर को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि हरिसिंह पुत्र घासीलाल जाति भील निवासी कचनारिया खुर्द थाना हरनावदा शाहजी ग्राम कोटडा कागला के (माल) में जमीन मुनाफा पर लेकर गेंहू की खेती कर रखी है जिसकी आड़ में हरे गांजा के पौधे उगा रखे है। उक्त सूचना विश्वसनीय होने से धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट तहत सूचना नोट मुर्तिब करमय जाप्ता रवाना होकर जावर चौराहा पहुंचा जहां पर मुखबिर द्वारा आपसी विवाद के कारण दूर से हाथ का इशारा करके दी गई सूचना की तस्दीक करवाई। मुखबीर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उक्त खेत पर बनी प्लास्टिक के तिरपाल की टापरी पर पहुंचा जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया जिससे नाम पुछा तो घबराते हुये अपना नाम हरिसिंह पुत्र घासीलाल जाति भील उम्र 35 साल निवासी कचनारिया थाना हरनावादा शाहजी जिला बारां होना बताया। उक्त व्यक्ति से उक्त स्थान पर मोजूद होने के बारे में पूछा गया तो दबी दबी आवाज में कहने लगा उसने यहां पर ग्राम कोटडा कागला के माल में सुरेश व दिलराज के खेत मुनाफा से ले रखे हैं जिनमें गेंहू की खेती करना बताया तथा बार बार अपने गेहूं के खेतों की तरफ देखने लगा। थानाधिकारी को शक होने पर गेहूं के खेतों की तरफ देखा तो गेहूं के अलावा अन्य हरे पौधे उगे हुए नजर आये। हरिसिंह से उक्त हरे पोधों के बारे में पूंछा गया तो घबरा गया तथा इधर ताकझांक करने लगा। थानाधिकारी को उक्त हरे पौंधों पर संदेह होने पर उक्त खेत की खातेदारी व रकबा की जानकारी

के लिये ग्राम कोटडा कागला पटवार हल्का अर्जुनपुरा नतीश कुमार मीणा के मौके पर तलब कर उक्त उगे हरे पौधों वाले खेतों के बारे में जानकारी चाही गई तो उक्त खेतों की जानकारी हल्का पटवारी द्वारा उक्त खेतों के खाता संख्या 136 रकबा 0.5099 हेक्टयर होना बताया। उक्त जमीन में 07 कास्तकार का नाम मिला जिसमें से उक्त जमीन सुरेश पुत्र जगनाथ का हिस्सा 1/14 व दिलराज पुत्र जगन्नाथ का हिस्सा 1/14 होना बताया। हल्का पटवारी द्वारा बताये गये दोनों खेतों में गेंहू की खेती की आड़ में हरे गीले पोधे उगे हुए हैं। मौके पर स्वतंत्र गवाहान नन्दकिशोर व मांगीलाल को तलब कर उनसे सहमति प्राप्त की। थानाधिकारी द्वारा डिटेनशुदा शख्स को अपना परिचत देते हुए अवगत कराया कि उसके खेतों में उगी हुई गेंहू की फसल के बीच उगे हरे पौधे मादक पदार्थ होने का शक है। हरिसिंह के समक्ष विकल्प रखा वह उसकी व उसके कब्जे के खेतों में उगे हरे पौधों की तलाशी व चैकिंग किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लिवा सकता है, यह उसका कानूनी अधिकार है। यदि उसके पास कोई आपतिजनक वस्तू नहीं मिलती है तो उसको उन्मोचित कर दिया जावेगा। हरिसिंह को धारा 50 एन.डी.पी.एस. का नोटिस दिया गया। जिस पर हरिसिंह ने उसकी तलाशी थानाधिकारी थाना जावर से ही लिवाना चाहा। तत्पश्चात थानाधिकारी द्वारा हरिसिंह के कब्जे के खेतों की तलाशी ली गई तो खेतों में गेंहू की खेती की आड़ में उगे हरे पौधों मिले जिन पर पत्तियां व कलियां लगी हुई थी जो पके हुए थे। उक्त पोधों में से एक पोधे को जड़ सहित उखाड़कर देखा, सूंघा, परखा गया व गवाहान को भी दिखाया गया तो गवाहान ने उक्त पौधे को गांजे के पौधे हाना बताया। डिटेनशुदा शख्स हरिसिंह ने भी बताया की उसने गेंहू की खेती की आड़ में गांजे के पौधे उगाये थे तथा यह गांजे के ही पौधे हैं। गांजा के पौधों को एक-एक करके जड़ सहित उखाड़कर गणना की गई तो कुल 1345 पौधे हुए। पौधों का इलेक्ट्रोनिक कांटा से वजन किया तो हरे गांजे के 45 पौधों का कुल वजन 121 किलो 350 ग्राम हुआ। अवैध मादक पदार्थ गाँजा के हरे पौधे उगाने खेती करने के बारे हरिसिंह से अधिकार पत्र लाईसेन्स पूछा तो अपने पास अधिकार पत्र लाईसेन्स नहीं होना बताया। अवैध मादक पदार्थ हरे गीले गांजे के कुल 1345 पौधों को बतौर बजह सबूत जप्त कर पृथक-पृथक 05 प्लास्टिक के कट्टों में रखकर सीलमोहर किया गया। अभियुक्त हरिसिंह को गिरफ्तार किया गया, इत्यादि। उक्त फर्द जप्ती के आधार पर पुलिस थाना जावर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 29/2026 अपराध अंतर्गत धारा 8/20ए एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान महेन्द्र यादव पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी मनोहरथाना को सुपुर्द किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 19.02.2026 को गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायालय के समक्ष पेश करने पर उसे अभिरक्षा में भिजवाया गया।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का निवेदन है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। जिस भूमि पर गांजे की अवैध खेती करना बताया है वह प्रार्थी/अभियुक्त की खातेदारी या कब्जे की नहीं है। उसे निराधार फंसाया गया है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की सम्भावना है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया। उनका निवेदन है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने सुरेश व दिलराज का खेत मुनाफे से अर्थात खेती करने के लिए पांती पर ले रखा था और गेहूं की आड़ में भारी मात्रा में गांजे की खेती की है। प्रार्थना पत्र जमानत खारिज करने का निवेदन किया।

5. सुना गया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

6. प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को उसके काश्त हेतु लिए गए खेत में अवैध रूप से बिना लाईसेंस गांजा की खेती करना पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की मौजूदगी में घटना स्थल से कुल 1345 गांजे के पौधे बरामद किए गए हैं जिसका वजन 121 किलो 350 ग्राम पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से गांजे की खेती करने का आरोप है। प्रकरण में धारा 8/20ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत अनुसंधान लम्बित है। मामले की गम्भीरता और क्षेत्र में मादक पदार्थों की अवैध खेती, कब्जे व सम्व्यवहार के अपराधों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते मामले के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **हरिसिंह** पुत्र घासीलाल, उम्र 35 साल, निवासी कचनारिया खुर्द, थाना हरनावदा शाहजी, जिला बारां (राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना **जावर** की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **29/2026** में अस्वीकार कर **खारिज** किया जाता है।

**(मुकेश कुमार सोनी)**
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा
जिला झालावाड़ (राज.)

8. आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

**(मुकेश कुमार सोनी)**
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा
जिला झालावाड़ (राज.)

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

ABDUL WAJID CHISTY

Steno Gr. I ''Authenticate Document"
Digitally signed by ABDUL WAJID CHISTY
Date: 2026.03.10 15:29:37 +0530

नोट: यह प्रतिलिपी प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।